

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज दिनांक 29-06-2021

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उतरी के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक के कुशल निर्देशन में अवैध रूप से शराब बिक्री के लिये ले जाने से संबंधित अभियुक्त सन्तोष पासवान पुत्र स्व. रामदेव पासवान नि. रामचौरा टोला भईया पुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को दिनांक 28.06.2021 को समय 21.15 बजे मुखबिर खास के सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को ब्रेन टी एकेण्डमी बहद ग्राम रामचौरा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के पास से 10 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 150-150 ग्राम यूरिया व नौसादर बरामद किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 244/21 धारा 60 आबकारी अधि. व 272 भादवि में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय सदर गोरखपुर रवाना किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त

- 1- अभियुक्त सन्तोष पासवान पुत्र स्व. रामदेव पासवान नि. रामचौरा टोला भईया पुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

धारा जिसमें गिरफ्तारी हुई का विवरण

मु.अ.स. 244/21 धारा 60 आबकारी अधि. व 272 भादवि

गिरफ्तारी दिनांक व स्थान का नाम

28.06.2021 समय 21.15 बजे ब्रेन टी एकेण्डमी बहद ग्राम रामचौरा के पास

बरामदगी – 10 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 150-150 ग्राम यूरिया व नौसादर
गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 अतुल कुमार तिवारी
2. हे.का. अरविन्द कुमार गिरी
3. का.प्रवीण यादव